...यालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
38 / 2025	26.03.2025	22.05.2025

अनवान

1. कंकु पुत्री कजोड जाति चमार आयु वयरक निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. जमनालाल पुत्र कजोड जाति चमार आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. पारस पत्नी मदनलाल जाति चमार आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. शिवलाल पिता मदनलाल जाति चमार आयु नाबालिग माता पारस पत्नी मदनलाल चमार निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. धर्मराज पिता मदनलाल जाति चमार आयु नाबालिग माता पारस पत्नी मदनलाल चमार निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. नोसर पिता मदनलाल जाति चमार आयु नाबालिग माता पारस पत्नी मदनलाल चमार निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. जुली पिता मदनलाल जाति चमार आयु नाबालिग माता पारस पत्नी मदनलाल चमार निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. लादू पिता भैरा जाति चमार आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. सुन्दर पुत्री कजोड जाति चमार आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. हुडीबाई पत्नी रामलाल जाति चमार आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
11. हिरी पुत्री कजोड जाति चमार आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
12. मदन पुत्र टोडु जाति रेगर आयु वयस्क निवासी तरनावों का खेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. किशोर पुत्र कालू जाति चमार आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. किशनलाल पुत्र भगवानलाल जाति चमार आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. धनराज पुत्र भैरूलाल जाति चमार आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. हंसराज पुत्र मांगु जाति चमार आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. बालु पुत्र गोकल जाति चमार आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. चुना पिता उदा जाति चमार आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
7. नन्दराम पिता उदा जाति चमार आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. किशनलाल पिता जीतू जाति जाट आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. लोवु पिता रूपा जाति जाट आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. पुखराज उर्फ पप्पु पिता गेहरू जाति जाट आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
11. मोहन पिता उदयराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
12. नारायण पुत्र रामलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी गोदियाना तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री मनोज कुमार जाट
एकतरफा

प्रार्थीगण
अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गोदियाना पटवार हल्का सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 110 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 619, 620, 623, 626, 627, 630, 634, 635, 647, 648, 649, 652, 654, 663, 680, 722, 846/662 कुल किता 17 कुल रकवा 2.78 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 148 के आराजी संख्या 264 रकबा 0.33 हैक्ट0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.33 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सख्या 3, 4, व 8 ने पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। आज दिनांक को अप्रार्थी संख्या 1, 2, 5, 6, 7, 9 से 12 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के सहखातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात मौजा गोदियाना पटवार हल्का सुरपुर तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 110 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 619, 620, 623, 626, 627, 630, 634, 635, 647, 648, 649, 652, 654, 663, 680, 722, 846/662 कुल किता 17 कुल रकबा 2.78 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 148 के आराजी संख्या 264 रकवा 0.33 हैक्ट0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.33 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को विना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 पाण्डोली को 1000/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन
कपासन, जिला-चित्तौडगढ